

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 23.05.08

संख्या-2/एम-111/05-.....792(2)...../ बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सहायक असीनिक शल्य चिकित्सक के पद पर विज्ञापन संख्या-93/98 प्रतिनियुक्ति पत्रिका के परिशिष्ट के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुश्रुत एवं सम्पन्न वार्षिक संख्या-7121/03 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-12448/03 में दिनांक 24.6.2005 को पत्रित न्यायदेश के आलोक में तथा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुश्रुत चिकित्सकों को नियुक्त करने का आदेश निम्न किया गया था। उक्त अधिसूचना के आलोक में योगदान देने वाले निम्नलिखित चिकित्सकों को औपचारिक रूप से पद ग्रहण के लिए यथासक्य असीनिक शल्य चिकित्सक (मूल कोटि) के पद पर ₹0 6500-10500/-₹0 के वेतनमान में समन-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन खपत भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ नियुक्त करते हुए जिलों में पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	BPSC का योग्यता क्रमांक	BPSC का रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	योग्यता	आस्थाप श्रेणी	पदस्थापित जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	295	11557	डा० अनिल कुमार मिश्रा	13.07.1971	मधुबनी	MD(Gen. Med)	सामान्य	दरभंगा
2	305	12040	डा० हरि नारायण	04.02.1974	मधुबनी	MBBS	सामान्य	सीतामढ़ी
3	62	14200	डा० मधुसूदन कुमार	14.04.1963	पूर्वी चम्पारण	D.Ortho	पिछड़ा वर्ग	वैशाली
4	309	11971	डा० राजीव कुमार	17.05.1973	पटना	MS (Eye)	सामान्य	जहानाबाद
5	329	11719	डा० प्रताप चन्द्र दास	10.12.1970	अररिया	MD (Skin & VD)	सामान्य	पूर्वियाँ
6	332	12004	डा० राघवेन्द्र नारायण	22.08.1971	पटना	MD (Pediatrics)	सामान्य	गया
7	259	13325	डा० शान्ति रनेहलता	05.01.1972	नालन्दा	MD (Obs & Gyn.)	सामान्य	बक्सर
8	233	10149	डा० अनिल कुमार सिंह	26.11.1972	सिवान	MS (Ortho)	सामान्य	मोघालमंज
9	224	12578	डा० प्रभात प्रकाश	28.11.1973	समस्तीपुर	D.Ortho	सामान्य	पूर्वी चम्पारण

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	246	13179	डा० हेमन्त कुमार पाण्डेय	02.02.1969	पूर्वी चम्पारण	DTMS&H	सामान्य	छपरा
11	14	12942	रत्ना रानी कुँज	20.12.1972	हजारीबाग	DGO	सामान्य	गया
12	65	13863	डा० सचिन कुमार सिंह	11.07.1966	रोहतास	MS (Gen Surg.)	पिछडा वर्ग	औरंगाबाद
13	64	10302	डा० चन्द्र भूषण चौधरी	16.12.1969	वैशाली	MS (Eye)	पिछडा वर्ग	सीतामढ़ी
14	66	14410	डा० राज नारायण यादव	26.03.1973	मधुबनी	D.Orlho	पिछडा वर्ग	भोजपुर
15	240	10919	डा० प्रभाकर भूषण मिश्रा	15.09.1966	समस्तीपुर	MD (Med)	सामान्य	पूर्णिमा
16	235	12312	डा० मृत्युंजय कुमार दूबे	01.02.1972	पूर्वी चम्पारण	MD (Pediatrics)	सामान्य	प० चम्पारण
17	220	14167	डा० मो० सहनबाज रिजवी	12.07.1970	पूर्णिमा	MS (Gen Surg.)	सामान्य	सुपौल
18	265	10514	डा० मधुकर कुमार वर्मा	30.10.1969	पूर्वी चम्पारण	MS (ENT)	सामान्य	प० चम्पारण
19	302	10895	डा० आशा कुमारी	01.01.1972	तखीसराय	MD (Obs & Gyn.)	सामान्य	बेगूसराय
20	60	11000	डा० रितेश कुमार	09.09.1971	मुंगेर	MS (Ortho)	अन्य पिछडा वर्ग	प० चम्पारण
21	48	14474	डा० संतोष कुमार	30.11.1966	पटना	D.Ortho	पिछडा वर्ग	शेरखपुरा
22	303	14223	डा० ज्योति सुल्तानिया	25.04.1971	दरभंगा	MS (Obs & Gyn.)	पिछडा वर्ग	मधुबनी
23	50	1440	डा० राज कुमारी	21.12.1969	जहानाबाद	MBBS	पिछडा वर्ग	पटना
24	280	10927	डा० विभूषण कुमार	31.12.1971	सीवान	MD (Pharmacology)	सामान्य	तखीसराय
25	333	12890	डा० अचलेश कुमार सिन्हा	03.06.1972	पटना	MS (ENT)	सामान्य	वैशाली
26	55	14461	डा० क्षितीश कुमार क्षितिज	01.01.1972	गया	MD (Biochemistry)	सामान्य	नालन्दा
27	263	13975	डा० प्रमोद कुमार सिंह	31.12.1967	पटना	MS (Gen.Surg.)	सामान्य	नालन्दा
28	226	12178	डा० नीरज कुमार	04.01.1971	दरभंगा	MD (Pediatrics)	सामान्य	मधुबनी

20/11/20

2

20/11/20


1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	234	12582	डा० आलोक कुमार सिन्हा	20.09.1967	पटना	D Ortho	सामान्य	मेमुसराय
30	242	14266	डा० विनीता सिन्हा	15.09.1971	रांची	MBBS	सामान्य	मेमुसराय
31	254	12326	डा० प्रभाकर कुमार	11.12.965	पू० चम्पारण	MBBS	सामान्य	सीतामढ़ी
32	272	12676	डा० अरविन्द कुमार सिन्हा	27.11.972	सारण	MS (Gen.Surg.)	सामान्य	पटना
33	274	12784	डा० राजीव कुमार भट्ट	17.05.1969	समस्तीपुर	MS (Ortho)	सामान्य	मधुबनी
34	275	11286	डा० रश्मि झा	20.05.1971	दरभंगा	MBBS	सामान्य	समस्तीपुर
35	277	13229	डा० सुधांशु कुमार	05.01.1970	सीतामढ़ी	DCH	सामान्य	पू० चम्पारण
36	39	11704	डा० आनन्द शंकर	26.12.1969	मगध	D Ortho	सामान्य	लखीसराय
37	293	12624	डा० धनश्याम झा	05.01.1970	दरभंगा	MD (Gen. Med)	सामान्य	मधुबनी
38	56	11819	डा० नरेन्द्र कुमार	04.05.1972	नवादा	MS (Gen.Surg.)	सामान्य	मुंगेर
39	53	12179	डा० प्रेमनन्द मधुकर	05.01.1972	पटना	MD (Pediatrics)	सामान्य	अरवल
40	58	14396	डा० विनय कुमार	09.08.1970	मधुबनी	DCH	अपिठक	सीतामढ़ी
41	56	298	डा० प्रवीण कुमार	01.03.1970	वैशाली	MS (ENT)	सामान्य	समस्तीपुर
42	307	13248	इन्द्र देव सिंह	05.05.1967	सहरसा	MD (Med)	सामान्य	सुपौल
43	35	12728	डा० विनय कुमार	14.01.1973	नालन्दा	MBBS	पिछडा वर्ग	मुंगेर

2. उक्त अम्बुसियों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि इनके पूर्व कृता एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन इनके प्रतिकूल होगा अथवा प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के जॉब के तथ में मूलतः सूचना पायी जायेगी, तो इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक चर्चावाई भी की जायेगी।

3. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पेट०से० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. जिन अम्बुसियों द्वारा जॉब के समय विभागीय अधिकृत संपत्ति द्वारा निवृत्त आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें निवेदित किया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवासीय प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

5. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान करते समय एक अभिलेखित फोटो साथ में लाना होगा।
6. उक्त चिकित्सकों पर विचार सरकारी सेवक आन्तर नियमकाली 1976 भी लागू रहेगा जिसके तहत वे प्राइवेट व्यापार का निरोधन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक गलत का मौंग नहीं करेंगे।
7. उक्त चिकित्सकों पर यह शर्त भी लागू रहेगा कि प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि से कम से कम एक ही स्थान पर देखती वेतन में तीन वर्षों की लगातार सेवा दें।
8. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 7834(2) दिनांक 22.11.95 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा 45 वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण की अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे।
9. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित जिले में दिनांक 05.06.2008 को योगदान देना जो चिकित्सक 05.06.2008 को योगदान नहीं देते हैं उन्हें अन्तिम मौखिक के तौर पर 15.06.2008 को योगदान करने की स्वीकृति दी जाती है।
10. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण पत्र (जति एवं आय प्रमाण पत्र सहित) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को सूचना अथवा प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ऐसे नियुक्तियों को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने हेतु किसी पूर्व सूचना देना की आवश्यकता नहीं होगी तथा सरकार को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. दो वर्षों के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा संतुष्ट की जाएगी। इस अवधि तक उक्त चिकित्सक किसी प्रकार का अध्यापन अवकाश में नहीं जायेंगे। उक्त अवधि में आवश्यक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
12. सभी सम्बंधित चिकित्सक प्रशिक्षण के बारे में राज्य स्वास्थ्य समिति से समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और प्रशिक्षण में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

विचार गृहणित के आदेश से  
  
 (पूजा कुलकर्णी)  
 सरकार के उपाय सचिव  
 पटना, दिनांक.....

आपांक -2/एम-111/05-

प्रतिलिपि - महालेखक, विचार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ प्लॉट (वि०३०/नि०३००) विभाग, विचार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

8-2-2008 4  
  


प्रतिनिधि - अफीमक, राजकीय प्रेम, गुलजारखान, पटना को विहार राजस्व के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिनिधि - सचिव, स्वास्थ्य एवं पशुधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनाार्थ प्रेषित ।

प्रतिनिधि - सभी प्रमुखस्थायी आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इन अधिकारियों को वास्तविक स्थिति पर पदस्थान करते हुए निम्न विन्दुओं को ध्यान में रखा जाय -

(i) ये चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही पदस्थानित होंगे ।

(ii) स्त्री रोग विशेषज्ञ जैसे जगहों पर पदस्थानित होने जहाँ प्रत्येक की संख्या अधिकतम हो । अन्य विशेषज्ञ जैसे जगहों पर पदस्थानित होने जहाँ पर रोगियों की संख्या अधिक हो ।

(iii) विशेषज्ञों को एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भी प्रचार दिया जा सकता है । जहाँ पर सप्ताह में निर्धारित दो दिनों को वे दृष्टी करेंगे ।

सभी सिविल सर्जन से यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त चिकित्सक पदाधिकारियों से सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपाय) निम्नवाली, 1977 की कडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विस्तारित होने की स्थिति में) विहित प्रथम में सम्पत्ति करने एवं सम्पत्ति का भी स्वीकार प्रस्तुत करने का निर्देश देने की कृपा की जाय । साथ ही साथ यह निर्देश दिया जाता है कि वार्षिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र संख्या-2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के उप सचिव

संज्ञांक -2/एम-111/05- 792(2) पटना, दिनांक 23.05.08

प्रतिनिधि - सभी संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

प्रतिनिधि मन्त्रीनिदेशक, अभियोजन, विहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सक पदाधिकारी को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

प्रतिनिधि - मंत्री, स्वास्थ्य के अति सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,7,8,9,10 एवं 17/ कम्प्यूटर कोषांग, स्वास्थ्य विभाग को सूचनाार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

5